

LOKAYUKTA SACHIVALAYA  
RAJASTHAN

लोकयुक्त सचिवालय  
राजस्थान



THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND  
UP-LOKAYUKTA ACT, 1973

राजस्थान लोकयुक्त तथा  
उप-लोकयुक्त अधिनियम, 1973

(AS AMENDED UPTO 31-01-2015)

(दिनांक 31.01.2015 तक संशोधित)

2015

**THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTA ACT, 1973**

(Act No. 9 of 1973)

[Published in Rajasthan Gazette, Part IV-A, Extraordinary, dated 27th March, 1973]

**CONTENTS**

SECTION	PAGE
1. Short title, extent and commencement	1
2. Definitions	1
3. Appointment of Lokayukta and Up-Lokayuktas	5
4. Lokayukta or Up-Lokayukta to hold no other office	7
5. Term of office and other conditions of service of Lokayukta and Up-Lokayuktas	9
6. Removal of Lokayukta or Up-Lokayukta	13
7. Matters which may be investigated by Lokayukta or Up-Lokayukta	15
8. Matters not subject to investigation	17
9. Provisions relating to complaints	17
10. Procedure in respect of investigations	19
11. Evidence	21
12. Reports of Lokayukta and Up-Lokayuktas	25
13. Prosecution for false complaint	25
14. Staff of Lokayukta and Up-Lokayuktas	27
15. Secrecy of information.	27
16. Intentional insult or interruption to or bringing into disrepute Lokayukta or Up-Lokayukta	29
17. Protection	31
18. Conferment of additional functions on Lokayukta and Up-Lokayuktas etc.	31
19. Power to exclude complaints against certain classes of public servant	33
20. Power to delegate	35
21. Power to make rules	35
22. Removal of doubts	37
23. Repeal and savings	37
<b>FIRST SCHEDULE</b>	39

**राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973**

(अधिनियम संख्या 9 सन् 1973)

[राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (क), दिनांक 27 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुआ]

**विषय-सूची**

धारायें	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ	2
2. परिभाषायें	2
3. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति	6
4. लोकायुक्त उप लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण न करना	8
5. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें	10
6. लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त का हटाया जाना	14
7. लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले	16
8. ये मामले, जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा	18
9. शिकायतों के संबंध में उपबन्ध	18
10. अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया	20
11. साक्ष्य	22
12. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों के प्रतिवेदन	26
13. मिथ्या शिकायत के लिये अभियोजन	26
14. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारी-वर्ग	28
15. जानकारी की गोपनीयता	28
16. लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का साक्ष्य अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना	30
17. परिमाण	32
18. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना	32
19. लोक सेवकों के कतिपय वर्गों के विरुद्ध शिकायतों को अपवर्जित करने की शक्ति	34
20. प्रत्योजन की शक्ति	36
21. नियम बनाने की शक्ति	36
22. शंकाओं का निराकरण	38
23. निरसन तथा व्यावृत्तियां	38
प्रथम अनुसूची	40

(ENGLISH TRANSLATION)

**THE RAJASTHAN LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS  
ACT, 1973**

(Act No. 9 of 1973)

[Received the assent of the President on the 26<sup>th</sup> day of March, 1973.]

An Act to make provisions for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of allegations against Ministers and public servants in certain cases and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the twenty-fourth year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 3<sup>rd</sup> day of February, 1973.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "action" means action taken by way of decision, recommendation or finding or in any other manner and includes failure to act; and all other expressions connoting action shall be construed accordingly;

(b) "allegation" in relation to a public servant, means any affirmation that such public servant,-

- (i) has abused his position as such to obtain any gain or favour himself or to any other person or to cause undue harm or hardship to any other person,
- (ii) was actuated in the discharge of his functions as such public servant by personal interest or improper or corrupt motives, or
- (iii) is guilty of corruption, or lack of integrity in his capacity as such public servant;

(प्रथम बार राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (क), दिनांक 27 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुआ)

विधि विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 1973

संख्या पं.2(3) विधि 73:- राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1973 ई. को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

**राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973**

(अधिनियम संख्या 9 सन् 1973)

(राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1973 को प्राप्त हुई)

कतिपय मामलों में मंत्रियों तथा लोक सेवकों के विरुद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करने के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्यों तथा तत्संबंधी मामलों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 3 फरवरी, 1973 को प्रवृत्त हुआ माना जायेगा।

2. परिभाषायें :- जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "कार्रवाई" से विनिश्चय, सिफारिश या निष्कर्ष के रूप में या किसी भी अन्य रीति से की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें कोई कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है, और कार्रवाई की अर्थबोधक समस्त अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(ख) किसी लोक सेवक के संबंध में "अभिकथन" से ऐसा कोई भी प्रतिज्ञान अभिप्रेत है कि-

- (i) या उस लोक सेवक ने अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुंचाने के लिये ऐसे लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है,
- (ii) वह लोक सेवक इस रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित था, या
- (iii) वह लोक सेवक अपनी उस हैसियत में भ्रष्टाचार या सचरित्रता की कमी, का दोषी है,

- (c) "competent authority" in relation to a public servant, means-
- (i) in the case of a Minister      The Chief Minister  
or Secretary
- (ii) in the case of any other      Such authority  
public servant                      as may be prescribed;
- (d) "Lokayukta" means a person appointed as the Lokayukta under section 3, [and shall also include a person nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 5];
- (e) "Up-Lokayukta" means a person appointed as an Up-Lokayukta under section 3;
- (f) "Minister" means a member (other than the Chief Minister) of the Council of Ministers, by whatever name called, for the State of Rajasthan, that is to say, a Minister, Minister of State and Deputy Minister;
- (g) "officer" means a person appointed to a public service or post in connection with the affairs of the State of Rajasthan;
- (h) - "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (i) "public servant" denotes a person falling under any of the descriptions hereinafter following, namely:-
- (i) every Minister referred to in clause (f);
- (ii) every officer referred to in clause (g);
- (iii) (a) every Pramukh and Up-Pramukh of a Zila Parishad, Pradhan and Up-Pradhan of a Panchayat Samiti, and Chairman of any Standing Committee, constituted by or under <sup>2</sup>[The Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994)]

1. Inserted w.e.f 22.8.1978 by section of 2 of Rajasthan Act No. 12 of 1978, published in the Rajasthan Gazette part IV-A, Extra ordinary, dated 28-10-1978.

2. Substituted by section 2 of Rajasthan Act No. 13 of 2008.

- (ग) लोकसेवक के संबंध में "सक्षम प्राधिकारी" से, :-
- (i) मंत्री या सचिव के मामले में      - मुख्य मंत्री
- (ii) किसी भी अन्य लोकसेवक के मामले में      - ऐसा प्राधिकारी जो विहित किया जाय,  
अभिप्रेत है।
- (घ) "लोकयुक्त" से धारा 3 के अधीन लोकयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है [और इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित है।]
- (ङ) "उप-लोकयुक्त" से धारा-3 के अधीन उप-लोकयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) "मंत्री" से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य (मुख्य मंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से जात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री;
- (छ) "अधिकारी" से राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (झ) "लोक सेवक" इसमें इसके पश्चात् वर्णित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का होता है, अर्थात् :-
- (i) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रत्येक मंत्री;
- (ii) खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी;
- (iii) (क) जिला परिषद् का प्रत्येक प्रमुख और उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान तथा उप-प्रधान और [राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13)] के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष;

1. राजस्थान राजपत्र, भाग 4 क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 2 द्वारा अन्तः स्थापित की गयी जो दिनांक 22.08.1978 से अन्तः स्थापित की हुयी समझी जायेगी।

2. राजस्थान राजपत्र भाग 4 क, विशेषांक दिनांक 5.4.2008 में प्रकाशित 2008 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 2 द्वारा प्रति स्थापित की गयी।



(b) every <sup>1</sup>[Mayor and Deputy Mayor of a Municipal Corporation] President and Vice-President of a Municipal Council, Chairman and Vice-Chairman of a Municipal Board and Chairman of any Committee, constituted or deemed to be constituted by or under the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act 38 of 1959);

- (iv) every person in the service or pay of,-
- any local authority in the State of Rajasthan which, is notified by the State Government in this behalf in the Official Gazette,
  - any corporation (not being a local authority) established by or under a State Act and owned or controlled by the State Government,
  - any Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956), in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the State Government or any company which is a subsidiary of a company in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the State Government,
  - any society registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act 28 of 1958), which is subject to the control of the State Government and which is notified by that Government in this behalf in the Official Gazette;
  - "Secretary" means a Secretary to the Government of Rajasthan and includes a Special Secretary, an Additional Secretary and a Joint Secretary.

**3. Appointment of Lokayukta and Up-Lokayuktas.**-(1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta and <sup>2</sup>[may, by similar warrant, appoint] one or more persons to be known as the Up-Lokayukta or Up-Lokayuktas;

- <sup>1</sup> Inserted by section 2 of Rajasthan Act No. 13 of 2008.
- <sup>2</sup> Inserted w.e.f. 22.08.1978 by section 2 of Rajasthan Act No. 12 of 1978, published in the Rajasthan Gazette part-IV-A, Extra ordinary dated 28.10.1978.

(ख) <sup>1</sup>[नगर निगम का प्रत्येक महापौर और उप महापौर, नगर पालिका परिषद का] अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम 38) के अधीन या उसके द्वारा गठित या गठित समझी गयी किसी समिति का अध्यक्ष,

(iv) प्रत्येक वह व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या वेतन भोगी है, अर्थात् :-

- राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राज पत्र में राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित किया जाय,
- किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो),
- कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्वयन राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्वयन राज्य सरकार द्वारा धारित है,
- राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज-पत्र में उस सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है;
- 'सचिव' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव सम्मिलित है।

**3. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति:-** (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये, राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से युक्त वारंट द्वारा <sup>1</sup>[लोकायुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा और वैसे ही वारंट द्वारा उप-लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों के रूप में ज्ञात होने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा] :

- राजस्थान राजपत्र भाग 4 क, विशेषांक दिनांक 5.4.2008 में प्रकाशित 2008 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी।
- राजस्थान राजपत्र, भाग 4 क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी, जो दिनांक 22.08.1978 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

Provided that,-

- (a) The Lokayukta shall be appointed after consultation with the Chief Justice of the High Court and the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly, or if there be no such Leader, a person elected in this behalf by the Members of the Opposition in that House in such manner as the Speaker may direct;
- (b) the Up-Lokayukta or Up-Lokayuktas shall be appointed after consultation with the Lokayukta:

Provided further that the first Up-Lokayukta shall be the person who is holding the office of Vigilance Commissioner immediately before the commencement of this Act.

(2) Every person appointed as the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall, before entering upon his office, make and subscribe, before the Governor, or some persons appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the form set out for the purpose in the First Schedule.

(3) The Up-Lokayuktas shall be subject to the administrative control of the Lokayukta and, in Particular, for the purpose of convenient disposal of investigations under this Act, the Lokayukta may issue such general or special directions as he may consider necessary to the Up-Lokayuktas :

Provided that, nothing in this sub-section shall be construed to authorize the Lokayukta to question any finding, conclusion or recommendation of an Up-Lokayukta.

**4. Lokayukta or Up-Lokayukta to hold no other office.-** The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not be a member of Parliament or a member of the Legislature of any State and shall not hold any office of the trust or profit (other than his Office as the Lokayukta or, as the case may be, an Up-Lokayukta); or be connected with any political party or carry on any business or practice any profession and accordingly before he enters upon his office, a person appointed as the Lokayukta or, as the case may be, an Up-Lokayukta, shall,-

- (a) if he is a member of Parliament or of the Legislature of any State, resign such membership; or
- (b) if he holds any office of trust or profit, resign from such office; or

परन्तु-

- (क) लोकायुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और विधानसभा में विरोधी दल के नेता से, या यदि ऐसा कोई नेता न हो तो उस सदन में विरोधी सदस्यों द्वारा इस निमित्त ऐसी शक्ति से, जैसी कि विधान सभा अध्यक्ष निर्दिष्ट करे, निर्वाचित व्यक्ति से, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा।
- (ख) उप-लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों को लोकायुक्त से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु यह और कि प्रथम उप-लोकायुक्त वह व्यक्ति होगा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरन्त पूर्व सतर्कता आयुक्त का पद धारण कर रहा है।

(2) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) उप-लोकायुक्त, लोकायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे और विशिष्टतया, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधापूर्ण निपटारे के प्रयोजन के लिये, लोकायुक्त, उप-लोकायुक्तों को ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे:

परन्तु इस उप-धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि यह लोकायुक्त को किसी उप-लोकायुक्त के किसी भी निष्कर्ष, निरघय या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिये प्राधिकृत करती है।

4. लोकायुक्त उप लोकायुक्त द्वारा कोई अन्य पद धारण न करना - लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, संसद् या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा और न्यास या लाभ का कोई पद (लोकायुक्त या यथा स्थिति उप-लोकायुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारबार या वृत्ति नहीं करेगा, और तदनुसार लोकायुक्त, या यथास्थिति, उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद संभालने से पूर्व,-

- (क) यदि वह संसद् सदस्य है या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य है तो एसी सदस्यता से त्याग पत्र दे देगा; या
- (ख) यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्याग-पत्र दे देगा; या

- (c) if he is connected with any political party, sever his connection with it; or
- (d) if he is carrying on any business, sever his connection (short of divesting himself of ownership) with the conduct and management of such business; or
- (e) if he is practising any profession, suspend practice of such profession.

**5. Term of office and other conditions of service of Lokayukta and Up-Lokayuktas.**—<sup>1</sup>[(1) Every person appointed as the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall hold, and every person holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 1987 (Ordinance No. 24 of 1987) shall continue to hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office]:

Provided that,—

- (a) the term of office of the first Up-Lokayukta shall be such as may be fixed by the Governor but in no case it shall be fixed for a term exceeding five years from the date on which he enters upon his office;

<sup>2</sup>[(aa) the Lokayukta holding office at the commencement of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas (Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. 13 of 1978) shall continue to hold that office till the expiry of term of five years from the date on which he entered upon his office;]

- (b) The Lokayukta or an Up-Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office;
- (c) The Lokayukta or an Up-Lokayukta may be removed from office in the manner specified in section 6.

(2) If the office of the Lokayukta or an Up-Lokayukta becomes vacant, or if the Lokayukta or an Up-Lokayukta is, by reason of absence or for any other reason whatsoever unable to perform the duties of his office those duties shall, until some other person appointed under section 3 enters upon such office or, as the case may be, until the Lokayukta or such Up-Lokayukta resumes his duties, be performed,—

1. Inserted and substituted w.e.f. dated 29.12.1987 by section 2 of Act No. 8 of 1988 published in the Rajasthan Gazette Part IV-A Extra ordinary, dated 7.4.1988.
2. Inserted and substituted w.e.f. 22.8.1978 by section 4(ii) and 4(iii) of Rajasthan Act No. 12 of 1978, published in the Rajasthan Gazette, part IV-A, Extra ordinary, dated 28.10.1978.

- (ग) यदि वह किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा; या
- (घ) यदि वह कोई कारबार चला रहा है तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से अपना संबंध (स्वामित्व से अपने को निरिहित न करते हुए) विच्छेद कर लेगा, या
- (ङ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है तो उस वृत्ति का करना निरव्यक्त कर देगा।

5. लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें —  
(1) [लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति और राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का अध्यादेश सं. 24) के प्रारम्भ के समय पद-धारण कर रहा प्रत्येक व्यक्ति अपना पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद-धारण करेगा या, यथास्थिति, पद-धारण करता रहेगा] :  
परन्तु —

- (क) प्रथम उप-लोकायुक्त की पदावधि उतनी होगी जितनी राज्यपाल नियत करें किन्तु किसी भी दश में यह, उसके पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष से अधिक के लिये नियत नहीं की जायेगी.

<sup>1</sup>[(कक) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (1978 का अध्यादेश सं. 13) के प्रारम्भ पर पद धारण करने वाला लोकायुक्त उस पद को तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसके द्वारा उक्त पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाय;]

- (ख) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, राज्यपाल को संवोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
- (ग) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से, उसके पद से हटाया जा सकेगा।

(2) यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाता है या यदि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को न संभाले या यथास्थिति लोकायुक्त या ऐसा उप-लोकायुक्त अपने कर्तव्यों का पुनरांम न करे, उन कर्तव्यों का निर्वहन—

1. राजस्थान राज पत्र भाग 4 क, विशेषांक 7.4.1988 में प्रकाशित 1988 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी, जो दिनांक 29.12.1987 से प्रतिस्थापित की हुयी समझी जायेगी।
2. राजस्थान राजपत्र भाग 4 क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित की गयी जो दिनांक 22.08.1978 से अन्तःस्थापित की हुयी समझी जायेगी।



- (a) where the office of the Lokayukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by the Up-Lokayukta or if there are two or more Up-Lokayuktas by such one of the Up-Lokayuktas as the Governor may by order direct;
- (b) where the office of an Up-Lokayukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by the Lokayukta himself or if the Lokayukta so directs, by the other Up-Lokayukta or, as the case may be, such one of other Up-Lokayuktas as may be specified in the direction<sup>1</sup> [;]
- <sup>2</sup>[(c) where the office of the Lokayukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office and there is no Up-Lokayukta, by a Judge of the High Court of Judicature for Rajasthan nominated by the Chief Justice of that High Court on a request of the Governor:

Provided that the Judge so nominated shall perform the duties of the Lokayukta in addition to his own duties as a Judge of the High Court and nothing contained in the provisions of section 3, section 4, sub-sections (1), (3), (4) and (5) of the section and section (6) shall apply to him.]

(3) On ceasing to hold office, the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall be ineligible for further employment (whether as the Lokayukta or an Up-Lokayukta or in any other capacity) under the Government of Rajasthan or the Central Government, or for any employment under, or office in, any such local authority corporation, Government company or society as is referred to in sub-clause (iv) of clause (i) of section 2, or for any employment under, or office in, any local authority in any Union Territory, which is notified by the Central Government in this behalf in the Official Gazette, or any corporation (not being a local authority) established by or under a Central Act and owned or controlled by the Central Government, or any Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of

1. Substituted by Act No. 12 of 1978 published in the Rajasthan Gazette part IV-A, Extra ordinary, dated 28.10.1978.
2. Added w.e.f. 22.8.1978 by section 4(iv) of Rajasthan Act No. 12 of 1978, published in the Rajasthan Gazette part IV-A, Extra ordinary, dated 28.10.1978.

- (क) जहाँ लोकयुक्त का पद रिक्त हो जाता है या जहाँ वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहाँ उप-लोकयुक्त द्वारा अथवा यदि दो या अधिक उप-लोकयुक्त हो तो उन उप-लोकयुक्तों में से ऐसे उप-लोकयुक्त द्वारा किया जायेगा जिसके लिये राज्यपाल आदेश द्वारा निर्देश करें,
- (ख) जहाँ उप-लोकयुक्त का पद रिक्त हो जाता है या जहाँ वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है वहाँ स्वयं लोकयुक्त द्वारा, या यदि लोकयुक्त ऐसा निर्देश दे तो अन्य उप-लोकयुक्त द्वारा, या यथास्थिति, अन्य उप-लोकयुक्तों में से ऐसे किसी एक द्वारा किया जायेगा जिसे निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाय<sup>1</sup> [;]
- <sup>2</sup>[(ग) जहाँ लोकयुक्त का पद रिक्त हो जाता है या जहाँ वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तथा कोई उप-लोकयुक्त नहीं हो तो राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा जिसका नाम निर्देशन राज्यपाल के अनुरोध पर उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किया गया हो;

परन्तु इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश लोकयुक्त के कर्तव्यों का निर्वहन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा और धारा 3, धारा 4, इस धारा की उप-धारा (1), (3), (4) एवं (5) तथा धारा 6 के उपबंधों में अन्तर्दिष्ट कोई भी बात उस पर लागू नहीं होगी।]

(3) पद धारण करना छोड़ देने पर, लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त (लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त के रूप में किसी भी अन्य हैसियत में) राजस्थान सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन आगे नियोजन का, या किसी भी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी, जैसी धारा 2 के खण्ड (झ) के उप-खण्ड (iv) में निर्दिष्ट है, के अधीन किसी भी नियोजन या में किसी भी पद का, या किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में के किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राज-पत्र में अधिसूचित किया जाय, या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित (किसी स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न) किसी भी निगम, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के

1. राजस्थान राजपत्र भाग 4 क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 में प्रकाशित। 1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी जो दिनांक 22.08.1978 से प्रतिस्थापित की हुयी समझी जायेगी।
2. राजस्थान राजपत्र भाग 4 क, विशेषांक दिनांक 28.10.1978 के अधिनियम संख्या 12 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया जो दिनांक 22.08.1978 से जोड़ी हुयी समझी जायेगी।



1956) in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the Central Government, or any company which is a subsidiary of a company in which not less than fifty-one percent of the paid-up share capital is held by the Central Government, or any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860), which is subject to the control of the Central Government and which is notified by that Government in this behalf in the Official Gazette.

[(4) The salary, allowances and pension, payable to and conditions of service of the Lokayukta or Up-Lokayukta shall respectively be the same as those of the Chief Justice or a Judge of the High Court of Rajasthan:

Provided that the allowances and pension payable to and other conditions of service of the Lokayukta or Up-Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment :

Provided further that if the Lokayukta or an Up-Lokayukta at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments his salary in respect of service as the Lokayukta or, as the case may be, Up-Lokayukta shall be reduced-

- (a) by the amount of that pension, and
- (b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof by the amount of that portion of pension, and

(c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service by the pension equivalent of that gratuity.

**6. Removal of Lokayukta or Up-Lokayukta.**-(1) Subject to the provisions of Article 311 of the Constitution, the Lokayukta or an Up-Lokayukta may be removed from his office by the Governor on the ground of misbehavior or incapacity, and on no other ground:

1. Substituted by section 2 (c) of Rajasthan Act No. 8 of 1988, published in the Rajasthan Gazette Part IV-A, Extra ordinary, dated 7.4.88 w.e.f. 1.4.1986.

अर्थात् नर्गत किसी भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत अंशपूजी का इक्वायन प्रतिशत से अन्यत् केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या किसी भी ऐसी कम्पनी, जो किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है, जिसमें समादत अंशपूजी का इक्वायन प्रतिशत से अन्यत् केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है, या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे उस सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, के अधीन किसी भी नियोजन या में पद का पात्र नहीं होगा।

[(4) लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की शर्तें क्रमशः वहीं होंगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधिपति की हों :

परन्तु लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त को संदेय भत्ता और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिये अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जावेगा :

परन्तु यह और कि यदि लोकयुक्त या कोई उप-लोकयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के भी अधीन या किसी राज्य सरकार के या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी के भी अधीन किसी पूर्ण सेवा के संबंध में कोई पेंशन (निर्याप्यता या क्षत पेंशन के सिवाय) प्राप्त कर रहा हो तो लोकयुक्त या, यथास्थिति, उप-लोकयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से-

(क) उस पेंशन की रकम को, और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्ण सेवा के संबंध में उसे देय पेंशन के भाग के बदले में उसने उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त कर लिया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि को, और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व ऐसी पूर्ण सेवा के संबंध में कोई सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त कर लिया हो तो ऐसी उपदान के बराबर पेंशन को,

कम कर दिया जायेगा।]

**6. लोकयुक्त अथवा उप-लोकयुक्त का हटाया जाना** - (1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोकयुक्त अथवा किसी उप-लोकयुक्त को, कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर, न कि किसी अन्य आधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा :

1. राजस्थान राज पत्र भाग 4 क, विशेषक दिनांक 7.4.1988 में प्रकाशित 1988 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से प्रतिस्थापित की हुयी समझी जायेगी।

Provided that the inquiry required to be held under clause (2) of the said article before such removal-

- (i) In respect of Lokayukta shall only be held by a person appointed by the Governor being a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court; and
- (ii) In respect of an Up-Lokayukta shall be held by a person appointed by the Governor being a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or who is or has been a Judge of High Court.

(2) The person appointed under the proviso to sub-section (1), shall submit the report of his inquiry to the Governor who shall, as soon as may be, cause it to be laid before the House of the State Legislature.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the Governor shall not remove the Lokayukta or an Up-Lokayukta unless an address by the House of the State Legislature supported by a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, has been presented to the Governor in the same session for such removal.

**7. Matters which may be investigated by Lokayukta or Up-Lokayukta.** (1) Subject to the provisions of this Act, the Lokayukta may investigate any action which is taken by, or with the general or specific approval of,-

- (i) a Minister or a Secretary; or
- (ii) any public servant referred to in sub-clause (iii) of clause (1) of section 2; or
- (iii) any other public servant being a public servant of a class or sub-class of public servants notified by the State Government in consultation with the Lokayukta, in this behalf, in any case where a complaint involving an allegation is made in respect of such action can be or could have been, in the opinion of the Lokayukta, the subject of any allegation.

(2) Subject to the provisions of this Act, an Up-Lokayukta may investigate any action which is taken by, or with the general or specific approval of, any public servant not being a Minister, Secretary or other

परन्तु ऐसे हटाये जाने से पूर्व उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन की जाने के लिये अपेक्षित जांच-

- (i) लोकायुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही की जायेगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति है अथवा रह चुका है, तथा
- (ii) किसी उप-लोकायुक्त के संबंध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है अथवा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी जांच का प्रतिवेदन राज्यपाल को भेजेगा, जो उसको यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्यपाल लोकायुक्त अथवा किसी उप-लोकायुक्त को तब तक नहीं हटायेगा जब तक कि इस प्रकार हटाये जाने के लिये, राज्य विधान मण्डल के सदन द्वारा उस सदन के कुल सदस्यों की बहुसंख्या तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित एक समावेदन राज्यपाल को उसी सत्र में प्रस्तुत न कर दिया गया हो।

7. लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त द्वारा अन्वेषणीय मामले - (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोकायुक्त किसी भी ऐसी कार्यवाही के संबंध में अन्वेषण कर सकेगा, जो -

- (i) किसी मंत्री अथवा सचिव, या
- (ii) धारा 2 के खंड (झ) के उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक, या
- (iii) किसी अन्य लोक सेवक, जो राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त के परामर्श से इस निमित्त अधिसूचित लोक सेवकों के किसी वर्ग या उप-वर्ग का कोई लोक सेवक हो, के द्वारा या उसके सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से किसी भी ऐसे मामले में की गई हो जहां ऐसी कार्यवाही के संबंध में कोई अभिकथन अन्तर्गस्त करने वाली शिकायत की गई है या लोकायुक्त की राय में ऐसी कार्यवाही किसी अभिकथन का विषय हो सकती है या हो सकती थी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई उप-लोकायुक्त, किसी भी ऐसी कार्यवाही के संबंध में अन्वेषण कर सकेगा जो किसी लोक सेवक, जो मंत्री, सचिव अथवा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अन्य लोक सेवक न



public servant referred to in sub-section (1) in any case where a complaint involving an allegation is made in respect of such action or such action can be or could have been, in the opinion of the Up-Lokayukta, the subject of an allegation.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the Lokayukta may, for reasons to be recorded in writing, investigate any action which may be investigated by an Up-Lokayukta under that sub-section whether or not a complaint has been made to the Lokayukta in respect of such action.

(4) Where two or more Up-Lokayuktas are appointed under this Act, the Lokayukta may, by general or special order, assign to each of them matters which may be investigated by them under this Act:

Provided that, no investigation made by an Up-Lokayukta under this Act and no action taken or thing done by him in respect of such investigation shall be open to question on the ground only that such investigation relates to a matter which is not assigned to him by such order.

**8. Matters not subject to investigation.**-(1) The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not investigate any action:-

(a) in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (Central Act 37 of 1850), with the prior concurrence of the Lokayukta;

or

(b) in respect of a matter which has been referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952) with the prior concurrence of the Lokayukta.

(2) The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not investigate any complaint which is excluded from his jurisdiction by virtue of a notification issued under section 19,

(3) The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not investigate any complaint involving an allegation, if the complaint is made after the expiry of five years from the date on which the action complained against is alleged to have taken place.

**9. Provisions relating to complaints.**-(1) Subject to the provisions of this Act, a complaint may be made under this Act to the Loka-

हो, - के द्वारा या उसके सामान्य अथवा विशिष्ट अनुमोदन से किसी भी ऐसे मामले में की गई हो जहां ऐसी कार्यवाई के संबंध में कोई अभिकथन अन्तर्गस्त करने वाली शिकायत की गई है या लोकायुक्त की राय में ऐसी कार्यवाई किसी अभिकथन का विषय हो सकती है या हो सकती थी।

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, लोकायुक्त लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी भी ऐसी कार्यवाही के संबंध में अन्वेषण कर सकेगा जिसका अन्वेषण उस उप-धारा के अधीन उप-लोकायुक्त कर सकता है चाहे ऐसी कार्यवाही के बारे में लोकायुक्त को कोई शिकायत की गई है अथवा नहीं।

(4) इस अधिनियम के अधीन जहां दो या अधिक उप-लोकायुक्त नियुक्त किये जायें तो, लोकायुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनमें से प्रत्येक को ऐसे मामले सौंप सकेगा जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा अन्वेषण किया जा सकेगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी उप-लोकायुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के संबंध में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जायगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के संबंध में जो ऐसे आदेश द्वारा उस उप-लोकायुक्त नहीं सौंपा गया है।

8. वे मामले, जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा - (1) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त ऐसी कार्यवाहियों के संबंध में कोई अन्वेषण नहीं करेगा -

(क) जिनके संबंध में लोकायुक्त की पूर्व सहमति से पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 (1850 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन किसी औपचारिक और सार्वजनिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं, या

(ख) जो ऐसे मामले के संबंध में हैं जो लोकायुक्त की पूर्व सहमति से कमीशनर्स ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 60) के अधीन जांच के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

(2) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त ऐसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 19 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप उसकी अधिकारिता से अपवर्जित हो जाती है।

(3) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त कोई अभिकथन अन्तर्गस्त करने वाली किसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण नहीं करेगा यदि वह शिकायत, उस तारीख के पांच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्, की गई हो, जिसको कि उस कार्यवाही, जिसके कि विरुद्ध शिकायत की गई है, का किया जाना अभिकथित है।

9. शिकायतों के संबंध में उपबन्ध - (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अभिकथन के



yukta or an Up-Lokayukta in the case of an allegation, by any person other than a public servant:

Provided that, where the person aggrieved is dead or is for any reason unable to act for himself, the complaint may be made by any person who in law represents his estate or, as the case may be, by any person who is authorised by him in this behalf.

(2) Every complaint shall be made in such form and shall be accompanied by such affidavits as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any other enactment, any letter written to the Lokayukta or an Up-Lokayukta by a person in police custody, or in gaol or in any asylum or other place for instance persons shall be forwarded to the addressee unopened and without delay by the police officer or other person in-charge of such gaol, asylum or other place and the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be, if satisfied that it is necessary so to do, treat such letter as a complaint made in accordance with the provisions of sub section (2).

**10. Procedure in respect of investigations.**-(1) Where the Lokayukta or an Up-Lokayukta proposes (after making such preliminary inquiry as he deems fit) to conduct any investigation under this Act, he-

- (a) shall forward a copy of the complaint or, in the case of any investigation which he proposes to conduct on his own motion, a statement setting out the grounds therefor, to the public servant concerned and the competent authority concerned;
- (b) shall afford to the public servant concerned an opportunity to offer his comments on such complaint or statement; and
- (c) may make such orders as to the custody of documents relevant to the investigation, as he deems fit.

(2) Every such investigation shall be conducted in private and in particular, the identity of the complainant and of the public servant affected by the investigation shall not be disclosed to the public or the press whether before, during or after the investigation :

Provided that, the Lokayukta or an Up-Lokayukta may conduct any investigation relating to a matter of definite public importance in public, if he, for reasons to be recorded in writing, thinks fit to do so.

संबंध में, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को इस अधिनियम के अधीन शिकायत प्रस्तुति की जा सकेगी :

परन्तु जहाँ व्यक्ति व्यक्ति मर गया हो या किसी कारण से स्वयं के लिये कार्यवाही करने में असमर्थ है, तो शिकायत किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाय, जैसी भी स्थिति हो।

(2) प्रत्येक शिकायत ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शपथ पत्रों सहित प्रस्तुति की जायेगी जो विहित किये जायें।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने हुए भी, पुलिस अभिरक्षा में, या किसी जेल में या विक्षिप्त व्यक्तियों के किसी आश्रय स्थान या अन्य स्थान में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को लिखे गये पत्र को, पुलिस अधिकारी या ऐसी जेल, आश्रय स्थान या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना खोले और बिना देरी किये प्रेषित को भेज दिया जायगा और लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, यथास्थिति, उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे पत्र को, उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार की गई शिकायत मान सकेगा।

**10. अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया.**-(1) जहाँ लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करना प्रस्थापित करता है, तो वह-

- (क) उस शिकायत की प्रतिलिपि, या किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में, जो वह स्वप्रेरणा से करना प्रस्थापित करे, उसके लिये आधारों का एक विवरण, संबंधित लोक सेवक को और संबंधित सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा,
- (ख) संबंधित लोक सेवक को उस शिकायत या विवरण पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, और
- (ग) अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण प्राइवेट तौर पर किया जायेगा और विशेषतः शिकायतकर्ता तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायगा :

परन्तु लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामलों से संबंधित कोई भी अन्वेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा यदि वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसा करना उचित समझे।

(3) Save as aforesaid the procedure for conducting any such investigation shall be such as the Lokayukta or, as the case may be the Up-Lokayukta considers appropriate in the circumstances of the case.

(4) The Lokayukta or an Up-Lokayukta may, in his discretion refuse to investigate or cease to investigate any complaint involving an allegation, if in his opinion-

- (a) the complaint is frivolous or vexatious, or is not made in good faith; or
- (b) there are no sufficient grounds for investigating or, as the case may be, for continuing the investigation; or
- (c) other remedies are available to the complainant and in the circumstances of the case it would be more proper for the complainant to avail of such remedies.

(5) In any case where the Lokayukta or an Up-Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint, he shall record his reasons therefor and communicate the same to the complainant and the public servant concerned.

(6) The conduct of an investigation under this Act, in respect of any action shall not affect such action, or any power or duty of any public servant to take further action with respect to any matter subject to the investigation.

**11. Evidence.-** (1) Subject to the provisions of this section for the purpose of any investigation (including the preliminary inquiry, if any, before such investigation) under this Act, the Lokayukta or an Up-Lokayukta may require any public servant or any other person who in his opinion is able to furnish information or produce documents relevant to the investigation to furnish any such information or produce any such document.

(2) For the purpose of any such investigation (including preliminary inquiry), the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), in respect of the following matters, namely:-

(3) यथापूर्वोक्त को छोड़कर, ऐसा कोई भी अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी कि लोकायुक्त या यथास्थिति, उप-लोकायुक्त, मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे।

(4) लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त, कोई अभिकथन अन्तर्गस्त करने वाली किसी शिकायत के संबंध में अन्वेषण करने से अपने विवेकानुसार इन्कार कर सकेगा या अन्वेषण करना बन्द कर सकेगा, यदि उसकी राय में-

- (क) वह शिकायत तुच्छ है या तंग करने के लिये की गई है, अथवा सदभावपूर्ण नहीं की गई है, या
- (ख) अन्वेषण के लिये या, यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिये पर्याप्त कोई आधार नहीं है, या
- (ग) शिकायतकर्ता के लिये अन्य उपचार उपलब्ध है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, शिकायतकर्ता के लिये उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा।

(5) ऐसे किसी मामले में, जहां लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त किसी शिकायत को ग्रहण नहीं करने का या किसी शिकायत के संबंध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करे, वहां वह उसके लिये अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें शिकायतकर्ता तथा संबंधित लोक सेवक को संसूचित करेगा।

(6) किसी भी कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही को या अन्वेषणाधीन किसी भी मामले के संबंध में आगे कार्यवाही करने की किसी लोकसेवक की किसी भी शक्ति या कर्तव्य को प्रभावित नहीं करेगा।

**11. साक्ष्य -** (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण (जिसमें ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारंभिक जांच, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ लोकायुक्त या कोई उप-लोकायुक्त किसी भी लोक सेवक से या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उस अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई भी सूचना देने या ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त, को, ऐसे किसी भी अन्वेषण (जिसमें प्रारंभिक जांच सम्मिलित है) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी याद पर विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :-



- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
- (f) such other matters as may be prescribed.

(3) Any proceedings before the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), no obligation to maintain secrecy or other restriction upon the disclosure of information obtained by or furnished to the State Government or any public servant, whether imposed by any enactment or any rule of law, shall apply to the disclosure or information for the purpose of any investigation under this Act and the State Government or any public servant shall not be entitled in relation to any such investigation to any such privilege in respect of the production of documents or the giving of evidence as is allowed by any enactment or by any rule of law in legal proceedings.

(5) No person shall be required or authorised by virtue of this Act, to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document-

- (a) as might prejudice the security or defence or international relations of India (including India's relations with the Government of any other country or with any international organisation), or the investigation or detection of crime; or
- (b) as might involve the disclosure of proceedings of the Cabinet of the State Government or any Committee of that Cabinet, and for the purpose of this sub-section a certificate issued by the Chief Secretary certifying that any information, answer or portion of a document is of the nature specified in clause (a) or clause (b), shall be binding and conclusive.

(6) Subject to the provisions of sub-section (4) no person shall be compelled for the purposes of investigation under this Act to give any

- (क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसे हजरि कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यक्षता करना;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना;
- (च) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।

(3) लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 के अर्थान्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) उप-धारा (5) के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार या किसी भी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या उसे दी गई जानकारी के प्रकटन के संबंध में गोपनीयता बनाये रखने का कोई भी दायित्व या कोई अन्य निर्बन्धन जो चाहे किसी अधिनियमिनि द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा अधिरोपित किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये जानकारी के प्रकटन पर लागू नहीं होगा, और राज्य सरकार या कोई भी लोक सेवक ऐसे किसी भी अन्वेषण के संबंध में, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण या साक्ष्य देने के संबंध में ऐसे किसी भी विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा, जो कि विधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियमिनि द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा अनुज्ञात है।

(5) इस अधिनियम के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी सूचना देने, या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का ऐसा अंश प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत नहीं किया जायेगा या ऐसा करने की उससे अपेक्षा नहीं की जायेगी-

- (क) जिससे कि भारत की सुरक्षा या प्रतिरक्षा या भारत के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों (जिसमें किसी भी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत के संबंध भी सम्मिलित हैं) पर या अपराध के अन्वेषण या पता चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके, या
- (ख) जिसमें कि राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल या उस मंत्रिमण्डल की किसी भी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्गुप्त हो, और इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ, मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण पत्र वाध्यकर और निश्चयाक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी सूचना, उत्तर या दस्तावेज का अंश, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है।

(6) उप-धारा (4) के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या



evidence or produce any document which he could not be compelled to give or produce in proceedings before a Court.

**12. Reports of Lokayukta and Up-Lokayuktas-**(1) If, after investigation of any action in respect of which a complaint involving an allegation has been or can be or could have been made, the Lokayukta or an Up-Lokayukta is satisfied that such allegation can be substantiated either wholly or partly, he shall report in writing communicate his findings and recommendations along with the relevant documents, material and other evidence to the competent authority.

(2) The competent authority shall examine the report forwarded to it under sub-section (1) and intimate within three months of the date of receipt of the report, the Lokayukta or, as the case may be, the Up-Lokayukta, the action taken or proposed to be taken on the basis of the report.

(3) If the Lokayukta or the Up-Lokayukta is satisfied with the action taken or proposed to be taken on his recommendations or findings referred to in sub-section (1), he shall close the case under information to the complainant, the public servant and the competent authority concerned, but where he is not so satisfied and if he considers that the case so deserves, he may make a special report upon the case to the Governor and also inform the complainant concerned.

(4) The Lokayukta and the Up-Lokayukta shall present annually a consolidated report on the performance of their functions under this Act to the Governor.

(5) On receipt of a special report under sub-section (3) or the annual report under sub-section (4), the Governor shall cause a copy thereof together with an explanatory memorandum to be laid before the House of the State Legislature.

(6) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 10, the Lokayukta may at his discretion make available, from time to time, the substance of cases closed or otherwise disposed of by him or by an Up-Lokayukta, which may appear to him to be of general public, academic or professional interest, in such manner and to such persons as he may deem appropriate.

**13. Prosecution for false complaint.**-(1) Notwithstanding anything contained in section 10 or any other provisions of this Act, whoever wilfully or maliciously makes any false complaint under this act

ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये विवश नहीं किया जायेगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या प्रस्तुत करने के लिये उसे विवश नहीं किया जा सकता हो।

12. लोकयुक्त तथा उप-लोकयुक्तों के प्रतिवेदन- (1) यदि किसी कृत्य जिसके संबंध में कोई अभिकथन अन्तर्गस्त करने वाली कोई शिकायत की गई है, या की जा सकती है अथवा की जा सकती थी, के संबंध में अन्वेषण के पश्चात् लोकयुक्त अथवा उप-लोकयुक्त का समाधान हो जाय, कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह, सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन उसे भेजे गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई की सूचना देगा।

(3) यदि लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त का, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उसकी सिफारिश या निष्कर्ष पर की गई या की जाने के लिये प्रस्थापित कार्रवाई से समाधान हो जाय तो वह शिकायतकर्ता, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचित करते हुए मामले को बन्द कर देगा, परन्तु जहाँ उसका इस प्रकार समाधान नहीं हो और यदि वह मामले को इस योग्य समझें तो वह राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा संबंधित शिकायतकर्ता को भी उसकी सूचना दे सकेगा।

(4) लोकयुक्त तथा उप-लोकयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के संपादन के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन, प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे।

(5) उप-धारा (3) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उप-धारा (4) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगा।

(6) धारा 10 की उप-धारा (2) के अध्वधीन रहते हुए, लोकयुक्त स्वविवेकानुसार, उसके द्वारा अथवा उप-लोकयुक्त द्वारा बंद किये गये या अन्यथा निपटायें गये मामलों का सारांश, जो उसे लोक, शैक्षिक या वृत्तिक हित के प्रतीत हों, ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्तियों को, समय समय पर उपलब्ध करा सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझें।

13. मिथ्या शिकायत के लिये अभियोजन -(1) धारा 10 अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्गिष्ट किसी बात के होते हुए भी जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन, जान बूझकर या दुर्भाग से कोई मिथ्या

shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

(2) No court, except a court of Magistrate, First Class subordinate to the High Court, shall take cognizance of the offence under sub-section (1).

(3) No such court shall take cognizance of such offence as aforesaid except on a complaint made by a person against whom false complaint was made after obtaining the previous sanction of the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be.

(4) The prosecution in relation to a complaint made under sub-section (3) shall be conducted by the Public Prosecutor and all expenses connected with such prosecution shall be borne by the State Government.

(5) Such court, on conviction of the person making false complaint, may award, out of the amount of fine, to the complainant such amount of compensation as it thinks fit.

**14. Staff of Lokayukta and Up-Lokayuktas.**-(1) The Lokayukta may appoint, or authorise an Up-Lokayukta or any officer subordinate to the Lokayukta or an Up-Lokayukta to appoint, officers and other employees to assist the Lokayukta and the Up-Lokayuktas in the discharge of their functions under this Act.

(2) The categories of officers and employees who may be appointed under sub-section (1), their salaries, allowances and other conditions of service and the administrative powers of the Lokayukta and Up-Lokayuktas shall be such as may be prescribed, after consultation with the Lokayuktas

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Lokayukta or an Up-Lokayukta may for the purpose of conducting investigations under this Act utilise the services of-

- (i) Any officer or investigation agency of the State or Central Government with the concurrence of that Government; or
- (ii) Any other person or agency.

**15. Secrecy of information.**-(1) Any information, obtained by the Lokayukta or the Up-Lokayukta or members of their staff in the course of, or for the purposes of any investigation under this Act, and

शिकायत करता है, दोषी सिद्ध होने पर, ऐसे कारावास से दण्डित होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय, उप-धारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) ऐसा कोई भी न्यायालय यथापूर्वोक्त अपराध का संज्ञान ऐसी शिकायत पर के सिवाय नहीं करेगा जो लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जिसके विरुद्ध मिथ्या शिकायत की गई थी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन की गई शिकायत के संबंध में अभियोजन लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जावेगा तथा उक्त अभियोजन से सम्बन्धित समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे।

(5) ऐसा न्यायालय, मिथ्या शिकायत करने वाले व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर, जुर्माने की राशि में से शिकायतकर्ता को प्रतिफल के रूप में ऐसी राशि दे सकेगा जो वह उचित समझे।

**14. लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारी-वर्ग** -(1) इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिये, लोकायुक्त, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा या किसी उप-लोकायुक्त को अथवा लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी नियुक्तियाँ करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रवर्ग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों की प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी, जैसी कि लोकायुक्त से परामर्श के पश्चात् विहित की जायें।

(3) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ-

- (i) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेंसी की सेवाओं का. उस सरकार की सहमति से, या
- (ii) अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेंसी की सेवाओं का - उपयोग कर सकेगा।

**15. जानकारी की गोपनीयता.** (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई जानकारी तथा ऐसी जानकारी के



any evidence recorded or collected in connection with such information, shall, subject to the provisions of the proviso to sub-section (2) of section 10, be treated as confidential and notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872), no Court shall be entitled to compel the Lokayukta or an Up-Lokayukta or any public servant to give evidence relating to such information or produce the evidence so recorded or collected.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any information or particulars,-

- (a) for purposes of the investigation or any report to be made thereon or for any action or proceedings to be taken on such report; or
- (b) for purposes of any proceedings for an offence under the Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), or an offence of giving or fabricating false evidence under the Indian Penal code 1860 (Central Act 45 of 1860) or for purposes of any trial of an offence under section 13 or any proceedings under section 16; or
- (c) for such other purposes as may be prescribed.

(3) An officer or other authority prescribed in this behalf may give notice in writing to the Lokayukta or an Up-Lokayukta, as the case may be, with respect to any document or information specified in the notice or any class of documents so specified that in the opinion of the State Government the disclosure of the documents or information or of documents or information of that class would be contrary to public interest and where such a notice is given, nothing in this Act shall be construed as authorising or requiring the Lokayukta the Up Lokayukta or any member of their staff, unless the Lokayukta or the Up-Lokayukta for reasons to be recorded is of the opinion that disclosure of such document or information involves no public interest to communicate to any person any document or information specified in the notice or any document or information of a class so specified.

**16. Intentional insult or interruption to, or bringing into disrepute Lokayukta or Up-Lokayukta.-** (1) Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to the Lokayukta or an Up-Lokayukta while the Lokayukta or the Up-Lokayukta is conducting any investigation under this Act, shall on conviction, be punished with sim-

सम्बन्ध में अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य, धारा 10 की उप-धारा(2) के परन्तुक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीय माने जायेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में अन्तर्दिष्ट किसी भी बात के होने पर भी, किसी भी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोकायुक्त या किसी उप-लोकायुक्त या किसी लोक सेवक को, ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिये या इस प्रकार अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करें।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात, -

- (क) अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या उसके बारे में किये जाने वाले किसी प्रतियेदन में, या ऐसे प्रतियेदन पर की जाने वाली किसी कार्रवाई या कार्यवाही के लिये, या
- (ख) आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19) के अधीन किसी अपराध, या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये या धारा 13 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने, या धारा 16 के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये, या
- (ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये, जो विहित किये जायं, - कोई जानकारी या विशिष्टतां प्रकट करने पर लागू नहीं होगी।

(3) इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त को, यथास्थिति, नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या जानकारी अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के किसी भी वर्ग के सम्बन्ध में लिखित में नोटिस दे सकेगा कि राज्य सरकार की राय में दस्तावेजों या जानकारी या उस वर्ग की जानकारी अथवा दस्तावेजों का प्रकटन लोक हित के विरुद्ध होगा और जहां ऐसा कोई नोटिस दे दिया जाय तो इस अधिनियम की किसी भी बात का, जब तक कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की अभिलिखित कारणों से यह राय न हो कि ऐसे दस्तावेज या जानकारी का प्रकटन लोक हित को अन्तर्भवित नहीं करता, यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त या उनके कर्मचारी वर्ग का कोई भी सदस्य नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या जानकारी को या इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के किसी भी दस्तावेज या जानकारी से किसी भी व्यक्ति को संशुचित करने के लिये प्राधिकृत है या ऐसा करना उससे अपेक्षित है।

16. लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का साराय अपमान या विघ्न या उसकी अपकीर्ति करना - (1) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करते समय जो कोई लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का साराय अपमान करता है, या उसके कार्य में विघ्न डालता है, वह दोषी सिद्ध होने पर



ple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

(2) Whoever, by words spoken or intended to be read, makes or publishes any statement or does any other act which is calculated to bring the Lokayukta or an Up-Lokayukta into disrepute, shall on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.

(3) The provisions of section 198 B of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act 5 of 1898), shall apply in relation to an offence under sub-section (1) or sub-section (2) as they apply in relation to an offence referred to in sub-section (1) of the said section 198 B, subject to the modification that no complaint in respect of such offence shall be made by the Public Prosecutor except with the previous sanction:-

- (a) in the case of an offence against the Lokayukta, of the Lokayukta
- (b) in the case of an offence against an Up-Lokayukta, of the Up-Lokayukta concerned.

**17. Protection :-** (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lokayukta or the Up-Lokayukta or against any officer, employee, agency or person referred to in section 14 in respect of any thing which is in good faith done or intended to be done under this Act.

(2) No proceedings of the Lokayukta or the Up-Lokayukta shall be held bad for want of form and except on the ground of jurisdiction no proceedings or decision of the Lokayukta or the Up-Lokayukta shall be liable to be challenged, reviewed, quashed or called in question in any court.

**18. Conferment of additional functions on Lokayukta, and Up-Lokayuktas etc.-**(1) The Governor may, by notification published in the official Gazette, and after consultation with the Lokayukta, confer on the Lokayukta or an Up-Lokayukta, as the case may be, such additional function in relation to the eradication of corruption as may be specified in the notification.

(2) The Governor may, by order in writing and after consultation with the Lokayukta, confer on the Lokayukta or an Up-Lokayukta such powers of a supervisory nature over agencies, authorities or officers set

साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा ऐसा कोई विवरण देता है या प्रकाशित करता है या अन्य कोई कार्य करता है, जो लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त की अपकीर्ति करने वाला समझा जाये, वह दोषी सिद्ध होने पर साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 198-ख के उपबन्ध, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा 198-ख की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं, परन्तु इस उपान्तरण के अध्वधीन कि ऐसे अपराध के सम्बन्ध में जन अभियोजक द्वारा कोई भी शिकायत-

- (क) लोकयुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के मामले में, लोकयुक्त की,
- (ख) उप-लोकयुक्त के विरुद्ध अपराध के मामले में सम्बन्धित उप-लोकयुक्त की, पूर्ण स्वीकृति के बिना नहीं की जायगी।

**17. परिचाय -** (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किए गए या किए जाने के लिये आशयित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में, लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त या धारा 14 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंन्सी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी याद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

(2) लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त की कोई भी कार्यवाही प्ररूप के अभाव में घुरी नहीं मानी जायगी और लोकयुक्त या उप-लोकयुक्त की किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय को, अधिकारिता के आधार पर के सिवाय, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, न उसका पुनर्विलोकन, अभियण्डन किया जा सकेगा, न उस पर कोई आपत्ति की जायगी।

**18. लोकयुक्त और उप-लोकयुक्त आदि को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना -** (1) राज्यपाल, राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, और लोकयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोकयुक्त या किसी उप-लोकयुक्त को यथास्थिति, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकेंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जायें।

(2) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं लोकयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोकयुक्त या किसी उप-लोकयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये

up, constituted or appointed by State Government for the eradication of corruption.

(3) The Governor may, by order in writing and subject to such conditions and limitations as may be specified in the order, require the Lokayukta to investigate any action (being action in respect of which a complaint may be made under this Act, to the Lokayukta or an Up-Lokayukta), and notwithstanding anything contained in this Act the Lokayukta shall comply with such order:

Provided that, the Lokayukta may entrust investigation of any such action (being action in respect of which a complaint may be made under this Act to an Up-Lokayukta) to an Up-Lokayukta.

(4) When any additional functions are conferred on the Lokayukta or an Up-Lokayukta under sub-section (1), or when the Lokayukta or an Up-Lokayukta is to investigate any action under sub-section (3), the Lokayukta or Up Lokayukta shall exercise the same powers and discharge the same functions as he would in the case of any investigation made on a complaint involving an allegation and the provisions of this Act shall apply accordingly.

**19. Power to exclude complaints against certain classes of public servant:-** (1) The State Government may on the recommendations of the Lokayukta and on being satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, exclude, by notification in the Official Gazette complaints, involving allegations against persons belonging to any class of public servants specified in the notification from the jurisdiction of the Lokayukta, or, as the case may be, Up-Lokayukta:

Provided that, no such notification shall be issued in respect of public servants of gazetted rank.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid as soon as may be after it is issued before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session for in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification in the notification or the House agrees that the notification should not be made, and notifies such decision in the Official Gazette, the notification

राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेन्सियों, प्राधिकरणों या अधिकारियों के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी।

(3) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्तों और निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएँ, लोकयुक्त से किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके कि सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोकयुक्त या किसी उप-लोकयुक्त को शिकायत की जा सकती हो) अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनियम की किसी बात के होते हुए भी लोकयुक्त ऐसे आदेश का पालन करेगा:

परन्तु लोकयुक्त ऐसी किसी भी कार्यवाही (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके कि सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोकयुक्त या किसी उप-लोकयुक्त को शिकायत की जा सकती हो) के सम्बन्ध में अन्वेषण किसी उप-लोकयुक्त को सौंप सकेगा।

(4) जब लोकयुक्त अथवा उप-लोकयुक्त को उप-धारा (1) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किये जायें अथवा जब लोकयुक्त अथवा उप-लोकयुक्त को उप-धारा (3) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्वेषण करना हो, तो लोकयुक्त अथवा उप-लोकयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका कि वह किसी अभिकथन को अन्तर्गस्त करने वाली शिकायत पर किये जाने वाले अन्वेषण में करेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

**19. लोक सेवकों के कतिपय वर्गों के विरुद्ध शिकायतों को अपवर्जित करने की शक्ति -** (1) राज्य सरकार, लोकयुक्त की सिफारिश पर तथा उसका इस बात से साम्प्रधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथन अन्तर्गस्त करने वाली शिकायतों को, लोकयुक्त अथवा यथास्थिति उप-लोकयुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी।

परन्तु ऐसी कोई भी अधिसूचना राजपत्रित श्रेणी के लोक सेवकों के सम्बन्ध में जारी नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष उस समय जबकि वह सत्र में हो, फुल मिलाकर 30 दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगी और यदि उस सत्र में जिसमें वह ऐसी रधी गई हो या ठीक पश्चात् वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, सदन अधिसूचना में किसी उपान्तर के लिये सहमत हो जाता है अथवा सदन सहमत हो जाता है कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए और ऐसे



shall from the date of publication of such decision have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done by virtue of the notification.

**20. Power to delegate.**— The Lokayukta or an Up-Lokayukta may, by a general or special order in writing direct that any powers conferred or duties imposed on him by or under this Act (except the powers to make reports to the Governor under section 12) may also be exercised or discharged by such of the officers, employees or agencies referred to in section 14, as may be specified in the order.

**21. Power to make rules.**—(1) The Governor may, by notification in the Official Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for—

- (a) the authorities for the purpose required to be prescribed under sub-clause (ii) of clause (c) of section 2;
- (b) the allowances and pension payable to and other conditions of service of, the Lokayukta and Up-Lokayuktas;
- (c) the form in which, complaints may be made and the fees, if any, which may be charged in respect thereof;
- (d) the powers of a civil court which may be exercised by the Lokayukta or an Up-Lokayukta;
- (e) any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which this Act makes no provision or makes insufficient provision and provision is in the opinion of the Governor necessary for the proper implementation of this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, and notifies such decision in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such

विनिश्चय को राज-पत्र में अधिसूचित करता है तो वह अधिसूचना ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, तदनुसार ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगी या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या वातिलकरण उस अधिसूचना के आधार पर पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

**20. प्रत्यायोजन की शक्ति** - लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त लिखित में किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियाँ अथवा उस पर अधिरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों (धारा 12 के अधीन सरकार को दिये जाने वाले प्रतिवेदन के सिवाय) का प्रयोग या पालन धारा 14 में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें।

**21. नियम बनाने की शक्ति** - (1) राज्यपाल इस अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा :-

- (क) धारा 2 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के अधीन चिह्नित किये जाने के लिये अपेक्षित प्रयोजन के लिये प्राधिकारियों के लिये,
- (ख) लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त को संदेय भर्तों तथा पेंशन एवं सेवा की अन्य शर्तों के लिये,
- (ग) प्ररूप, जिसमें शिकायतें की जा सकेंगी तथा फीस, यदि कोई हो, जो उसके सम्बन्ध में प्रभारित की जा सकेंगी के लिये,
- (घ) किसी सिविल न्यायालय की उन शक्तियों के लिये जो लोकायुक्त अथवा किसी उप-लोकायुक्त द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी,
- (ङ) किसी भी अन्य मामले के लिये जो विहित किया जाना है अथवा किया जाय या जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है अथवा अपरोपित उपबन्ध है और राज्यपाल की राय में इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिये उपबन्ध होना आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, उस समय, जबकि वह सत्र में हो, कुल जिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो कालावधियों में समाविष्ट हो सकेंगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या तीस पश्चात्कर्त्ती सत्र के अद्यतन के पूर्व सदन उस नियम में किसी उपान्तर के लिये सहमत हो जाता है अथवा सदन सहमत हो जाता है कि



notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**22. Removal of doubts.**— For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in this Act shall be construed to authorise the Lokayukta or an Up-Lokayukta to investigate any allegation against—

- (a) the Chief justice or any Judge of the High Court or a member of Judicial Service as defined in clause (b) of Article 236 of the Constitution;
- (b) any officer or servant of any court in India;
- (c) the Accountant General, Rajasthan;
- (d) the Chairman or a member of the Rajasthan Public Service Commission;
- (e) the Chief Election Commissioner, the Election Commissioners and the Regional Commissioners referred to in Article 324 of the Constitution and the Chief Electoral Officer, Rajasthan State;
- (f) any member of the Secretariat staff of the Rajasthan Legislative Assembly.

**23. Repeal and saving .**—(1) The Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Ordinance, 1973 (Ordinance No. 3 of 1973) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under it, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

(3) The provisions of this Act shall be in addition to the provisions of any other enactment or any rule of law under which remedy in any other manner is available to a person making a complaint under this Act and nothing under this Act shall limit or effect the right of such person to avail of such remedy.

ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिये और ऐसे विनिश्चय को राज-पत्र में अधिसूचित करता है तो वह नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलक्षण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

22. शंकाओं का निराकरण - शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोकयुक्त अथवा उप-लोकयुक्त को-

- (क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित न्यायिक सेवा के किसी सदस्य,
- (ख) भारत में किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,
- (ग) महालेखाकार, राजस्थान,
- (घ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य,
- (ङ) संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त एवं प्रादेशिक आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान राज्य,
- (च) राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी वर्ग के किसी भी सदस्य, - के विरुद्ध किसी अभिकथन के सम्बन्ध में अन्वेषण करने के लिये प्राधिकृत करती है।

23. निरसन तथा व्यावृत्तियाँ - (1) राजस्थान लोकयुक्त अथवा उप-लोकयुक्त अध्यादेश, 1973 (1973 का अध्यादेश सं. 3), एतद्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) उक्त अध्यादेश की निरसन हो जाने पर भी, उसके अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई मानी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के उपलब्ध किसी भी अन्य अधिनियमित के ऐसे उपबन्धों या विधि के किसी ऐसे नियम के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन शिकायत करने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य रीति में उपचार उपलब्ध है और इस अधिनियम के अधीन की कोई भी बात ऐसे उपचार का लाभ उठाने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार को सीमित या प्रभावित नहीं करेगी।

### THE FIRST SCHEDULE

[See Section 3 (2)]

I....., having been appointed Lokayukta/Up-Lokayukta do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge, and judgment perform the duties of my office without fear and favour, affection or ill will.

### प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (2) देखिये]

मैं.....लोकयुक्त/उप-लोकयुक्त नियुक्त किये जाने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सद्भाव एवं राजनिष्ठा रखूंगा तथा मैं सम्यक् रूप से तथा निष्ठापूर्वक एवं अपनी सर्वोत्तम योग्यता ज्ञान एवं विवेकबुद्धि से अपने पद के कर्तव्यों का भय तथा पक्षपात, अनुराग अथवा वैमनस्य के बिना पालन करूंगा।

---

---

**Government Central Press, Jaipur**

---

---